

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित :01 मई, 2023

निर्णय उद्घोषित :08मई, 2023

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 27/2023

अमित जैन

.....अपीलार्थी

द्वारा: श्री प्रताप सिंह रावत, अधिवक्ता

बनाम

महावीर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री मुकुल कुमार बैद, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

गिरीश कठपालिया, न्या.

1. इस अपील के माध्यम से, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 (जिसे इसमें इसके बाद "संहिता" कहा जाएगा) और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) सहपठित आदेश XLIII नियम 1 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत की गई है, अपीलार्थी ने विद्वान् जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), दक्षिण, साकेत,

दिल्ली के दिनांक 11.11.2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा संहिता की धारा 151 के तहत अपीलार्थी वादी के दिनांक 05.11.2022 के आवेदन को संहिता के आदेश XIII नियम 1(3) के तहत आवेदन के रूप में माना गया और निपटान किया गया, जिससे अपीलार्थी को नए सिरे से वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वाद वापस लेने की अनुमति दी गई, लेकिन न्यायालय शुल्क की वापसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इस अपील के नोटिस की तामील पर, प्रत्यर्थागण ने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने दिनांक 05.04.2023 को प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थागण को उस राहत के संबंध में इस अपील पर कोई आपत्ति नहीं है, जो विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई है। दिनांक 05.04.2023 को ही, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता से इस अपील की पोषणीयता पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया था। तदनुसार, हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

2. संक्षेप में, इस अपील को जन्म देने वाली परिस्थितियां इस प्रकार हैं। अपीलार्थी ने वाद लंबित रहने के दौरान और भविष्य के 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 66,01,538/- रुपये की वसूली के लिए वाद दायर किया। हालांकि, अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि वाद हेतुक उसके द्वारा प्रत्यर्थागण को दिया गया एक व्यक्तिगत ऋण था, लेकिन अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बुद्धिमत्ता से वाणिज्यिक वाद के रूप में वाद

दायर किया। दिनांक 07.10.2022 को, संहिता के आदेश VII के नियम 11 के तहत एक आवेदन के साथ लिखित बयान दाखिल किए जाने पर, विचारण न्यायालय ने स्पष्टीकरण के लिए दो प्रश्न विरचित किए, जिनमें से एक यह था कि क्या पक्षकारों के बीच विवाद को वाणिज्यिक विवाद माना जा सकता है और तदनुसार वाद को उक्त स्पष्टीकरण के लिए रखा गया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने संहिता की धारा 151 के तहत दिनांक 05.11.2022 को आवेदन दायर किया जिसमें उचित न्यायालय के समक्ष नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वाद वापस लेने की अनुमति मांगी गई और 67,000/- रुपये की मूल न्यायालय शुल्क को लौटाने/धन-वापसी की मांग की गई। विद्वान् विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को संहिता के आदेश XXIII के नियम 1(3) के तहत आवेदन के रूप में माना और आंशिक रूप से इसे मंजूर किया, इस प्रकार अपीलार्थी को उचित न्यायालय के समक्ष नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वाद वापस लेने की अनुमति दी, लेकिन न्यायालय शुल्क की वापसी के लिए प्रार्थना को नामंजूर कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील अस्तित्व में आई।

3. बहस के दौरान, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश एक अंतिम आदेश है क्योंकि यह वाद को समाप्त करता है और इसलिए, यह अपील पोषणीय है। जहां तक न्यायालय शुल्क की वापसी का संबंध है, यह तर्क दिया गया था कि चूंकि वाद पर गुणागण के आधार पर

निर्णय नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी न्यायालय शुल्क की वापसी का हकदार है, विशेष रूप से क्योंकि विरोधी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। उनकी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने *स्पैन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम विशाल शर्मा* शीर्षक वाली सि.पु.या. 31/2021 के मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 16.04.2021 के आदेश और *नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम भारत संध* शीर्षक वाली रि.या. सं. 4369/2009 के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के दिनांक 21.02.2020 निर्णय का अवलंब लिया। जैसा कि प्रत्यर्थागण के संबंध में ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हें इस अपील पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. तब इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले दो प्रश्न यह हैं कि क्या वर्तमान अपील अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाए रखे जाने योग्य है और क्या अपीलार्थी न्यायालय शुल्क की वापसी का हकदार है। हमने मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों की जांच की है कि क्या वाद को एक वाणिज्यिक वाद के रूप में तैयार करने में वादी के विद्वान अधिवक्ता की गलत धारणा के कारण और इसे वाणिज्यिक न्यायालय में दाखिल करने के कारण, अभियोक्ता को आर्थिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां वादी के विद्वान अधिवक्ता ने गलती का समय पर एहसास किया और वाद को वापस लेने की मांग की। प्रासंगिक रूप से,

अपीलार्थी, यह जानते हुए कि उसके द्वारा संस्थित की गई कार्रवाई ऐसी थी जिस पर विद्वत जिला न्यायाधीश के पास विषय-वस्तु संबंधी अधिकार क्षेत्र नहीं था, आदेश VII के नियम 10 के प्रावधानों से संबंधित निर्णयों का हवाला दिया गया था। हालांकि, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के अवलोकन पर स्पष्ट है, विद्वान जिला न्यायाधीश ने उसकी अवहेलना की और पूरी तरह से अपीलार्थी पर जिम्मेदारी डाल दी।

5. अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रावधान यह निर्धारित करता है कि सिविल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आरंभिक निर्णय या आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक अपील अधिकार क्षेत्र में अपील कर सकते हैं, बशर्ते कि अपील ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के खिलाफ हो, जो संहिता के आदेश XLIII और मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत विशेष रूप से प्रगणित हो। निःसंदेह, संहिता का आदेश XLIII स्पष्ट रूप से संहिता के आदेश XXIII के तहत पारित किसी आदेश को शामिल नहीं करता है, लेकिन यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत पारित आदेश निश्चित रूप से संहिता के आदेश XLIII के तहत आता है। दूसरे शब्दों में, इस कथन पर कोई विवाद नहीं हो सकता है

कि संहिता के आदेश VII के नियम 10 के तहत पारित आदेश को निश्चित रूप से अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

6. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय ने व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा विरचित वाद अधिनियम की धारा 2 के तहत नहीं आएगा और इस कारण अपीलार्थी ने उचित न्यायालय के समक्ष नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वाद वापस लेने की अनुमति मांगने के लिए दिनांक 05.11.2022 को आवेदन दायर किया। आवेदन संहिता की धारा 151 का आह्वान करते हुए दायर किया गया था, लेकिन आवेदन का आशय और सार संहिता के आदेश VII नियम 10 द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रकृति का था। हमारी सुविचारित राय में, वादी के लिए वित्तीय प्रभावों के कारण, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को संहिता के आदेश XXIII नियम 1 के तहत एक आवेदन के रूप में मानने के बजाय संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत एक माना जाना चाहिए था। वैकल्पिक रूप से, विद्वान विचारण न्यायालय, क्षेत्राधिकार संबंधी क्षमता के संबंध में प्रथमदृष्टया विचार रखते हुए, संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र भी अपने आप वापस कर सकता था।

7. **कल्लू बनाम फूंदन**, (1946) आईएलआर 702 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया, जहां वाद

को विचारण न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार पर भी खारिज कर दिया गया था, इसके अलावा बचाव-पक्ष की इस दलील को बरकरार रखा कि वाद सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, जिसके बाद खण्ड पीठ ने निर्णय दिया कि विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार की कमी के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, विचारण न्यायालय को आगे की कार्यवाही करने के बजाय सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विचारण न्यायालय में संस्थित किए जाने के लिए वादपत्र वापस कर देना चाहिए था। इसी प्रकार, दिनांक 02.07.1956 को निर्णित *टी. कृष्णवेणी अम्मल बनाम कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास*, मूल अपील सं. 117/1954, के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने यह मत व्यक्त किया कि मद्रास एस्टेट भूमि अधिनियम पर आधारित याचिका को स्वीकार करने के बाद, विचारण न्यायालय को वादपत्र खारिज करने के बजाय उचित विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इसे वापस कर देना चाहिए था।

8. इस मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में, इस अपील के आरंभ में इस अपील का गला घोटना पूर्णतया न्याय की हत्या करना होगा। हम यह मानने का कोई कारण नहीं पाते कि यह अपील कानून की नजर में पोषणीय नहीं है।

9. जहां तक दूसरे पहलू का संबंध है, यह प्रश्न कि क्या धन वसूली हेतु वाद वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष या साधारण सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, इतना जटिल है कि साधारण व्यक्ति द्वारा समझा नहीं जा सकता। ऐसे निर्णयों के संबंध में वादी पूरी तरह से अपने अधिवक्ता की सलाह पर चलता है। जहां कोई अधिवक्ता अपने विवेक से कानून के किसी भी बिंदु पर किसी विशेष दृष्टिकोण पर पहुंचता है और तदनुसार कार्य करता है, लेकिन बाद में आगे बढ़ने के लिए आश्वस्त नहीं होता है, तो वादी को आर्थिक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

10. यह सामान्य बात है कि न्यायालय शुल्क अधिनियम जैसे राजकोषीय विधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय को उदार रवैया अपनाना चाहिए जिससे कि वादी का बोझ कम किया जा सके और न की उसमें वृद्धि हो। विशेष रूप से जहां वाद पर विचार करने वाले न्यायालय का विचार है कि वह इसका निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं है, वहां वादी को न्यायालय शुल्क की वापसी से वंचित करने का कोई तर्क नहीं है।

11. **नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक** (उपरोक्त) के मामले में, जिसका अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया गया है, इसी प्रकार की स्थिति में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपनी पूर्ण पीठ के निर्णय सहित विभिन्न न्यायिक पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त

किया कि जहां वाद संस्थित करने पर न्यायालय शुल्क का भुगतान ऐसे न्यायालय में किया जा चुका है जो संभवतः मांगी गई राहत को प्रादान नहीं कर सकता है, वहां यह इस ठोस सिद्धांत के संगत नहीं लगता कि अपीलार्थी के लिए इस प्रकार भुगतान किए गए शुल्क को खोने का दंड दिया जाना चाहिए, या यह कि उसे दूसरे शुल्क का भुगतान किए बिना ऐसे न्यायालय से न्यायनिर्णयन के लिए पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो वास्तव में ऐसा कर सकता है।

12. किसी ऐसे वाद में भी, जो न्यायनिर्णयन के बिना रह गया हो, न्यायालय शुल्क वापस करने से इनकार करना और वादकारी से पुनः भुगतान करने की उम्मीद करना कानून का पालन करने वाले वादी को न्याय देने वाली प्रणाली के समक्ष जाने से हतोत्साहित करेगा। किसी भी सभ्य समाज के लिए इस तरह का डॉकेट अपवर्जन अत्यधिक प्रतिकूल होगा।

13. वर्तमान मामले में, तथ्य यह है कि प्रारंभिक चरण में ही, क्षेत्राधिकार संबंधी कमजोरी की ओर इंगित किए जाने पर, अपीलार्थी ने इसे उचित रूप से स्वीकार किया और नए सिरे से वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वाद को वापस लेने की अनुमति मांगने के लिए दिनांक 5.11.2022 को आवेदन पेश किया, वाद अनसुलझा रहता है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा लाए गए विवाद का कोई औपचारिक न्यायनिर्णयन नहीं होने के कारण, हमारी

राय है कि अपीलार्थी के लिए यह बहुत कठिन होगा कि वह नए सिरे से न्यायालय शुल्क का भुगतान करे।

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उस सीमा तक आक्षेपित आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं जहां तक वह न्यायालय शुल्क को लौटाने/धन-वापसी के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करता है और उस सीमा तक, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। तदनुसार, अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

15. इस निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाए और अपील की फाइल को पक्षकारों को अपने स्वयं के खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए अभिलेख में भेजा जाए।

(गिरीश कठपालिया)
न्यायमूर्ति

(राजीव शकधर)
न्यायमूर्ति

8 मई, 2023
एस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।